162

269

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प शाखा, रीवा सम्भाग रीवा म०प्र०

निगरानी /2012

विलोपित /विलोपित विलोपित /विलोपित

राम भिलाष यादव पिता श्री राम लखन यादव, निवासी बरा आजाद नगर वार्ड क्रमांक 16, तह० हुजूर जिला रीवा {म०प्र०} ----निगरानीकर्ता

बनाम

1:- श्रीमती सुधा सिंह पत्नी आनन्द प्रताप सिंह, निवासी झिरिया वार्ड क्रमांक 6, तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र०

2:- 1 शासन म०प्र० --गैर निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री ए-वी. पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत। 8/02/2012

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान कलेक्टर सा० जि० रीवा के प्रकरण क्रमांक 58/अ-12/निग0/2010-2011 आदेश दिनांक 23 जनवरी 2012

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू रा०सं० 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यहकि अधीन न्यायालय का निर्णय विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

2:- यह कि निगरानी कर्ता ने आ० नं० 298/2/1 के जुज रकबा 25×50= 1250 वर्गफिट दि० 23-1-2008 को क्रय कर पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कराया था। और विक्रय पत्र के अनुसार कब्जा दखल प्राप्त किया था। निगरानी कर्ता के नाम विधिवत नामान्तरण हो गया है व बटे नं० कायम हो गये है तथा राजस्व अभिलेखो मे निगरानी कर्ता का आ० नं० 298/14 रकबा 1250 वर्गफिट कायम हो चुका है। निगरानी कर्ता के प्लाट मे निगरानी कर्ता का मकान व बोर निर्मित है और निगरानी कर्ता के मकान के उत्तर तरफ गैर-निगरानी कर्ता का

क्रमशः/2

XXXIX(a)-BR(H)-11

(162)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R**–578-**II**/12 जिला–रीवा

रामभिलाष यादव/सुधा सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 58/अ–12/निग0/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	